रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 417] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 1975/आश्विन 14, 1897
No. 417] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 1975/ASVINA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES
(Department of Industrial Development)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th October 1975

S.O. 592(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Copper (Prohibition of Use in the manufacture of Electrical Cables and Wires) Order, 1970, namely:—

1. (i) This Order may be called the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of Electrical Cables and Wires) Amendment Order, 1975.

(ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 4 of the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of Electrical Cables and Wires) Order, 1970, for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(1) Any Police Officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector or any other officer of an equivalent rank authorised in this behalf may, with a view to securing compliance with this Order or to satisfying himself that this Order has been complied with, and with such assistance, if any, as he thinks fit—

(i) enter upon and search any premises, any vehicle or vessel in which such officer has reason to believe that any of the provisions of this Order has been, is being, or is about to be, contravened;

(ii) seize copper in respect of which he has reason to believe that any of the provisions of this Order has been, is being, or is about to be, contravened."

[No. F.11/43/69-El.Ind.]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1975

का० आ० 592(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तांबा (विद्युत् कैबिलों और तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (i) इस आदेश का नाम तांबा (विद्युत्—कैबिलों और तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) संशोधन आदेश, 1975 है ।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. तांबा (विद्युत्—कैबिलों और तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1970 के खंड 4 में, उपखंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) कोई भी पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो, या इस निमित्त प्राधिकृत समतुल्य पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश का अनुपालन किया गया है, और ऐसी सहायता, यदि कोई हो, के साथ, जिसे वह ठीक समझे, —

(i) किसी स्थान, किसी यान या जलयान में, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें इस आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ii) ऐसे तांबे का अभिग्रहण कर सकेगा, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, कि उसके सम्बन्ध में इस आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है, या किया जाने वाला है ।"

[सं० फा० 11/43/69–ई०एल०आई एन डी]

S.O. 593(E).—In exercise of the power conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Electrical Cables and Wires Control Order, 1970, namely:—

1. (i) This Order may be called the Electrical Cables and Wires Control (Amendment) Order, 1975.

(ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 8 of the Electrical Cables and Wires Control Order, 1970 for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(1) Any Police Officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector or any other officer of an equivalent rank authorised in this behalf may, with a view

to securing compliance with this Order or to satisfying himself that this Order has been complied with, and with such assistances, if any, as he thinks fit—

(i) enter upon and search any premises, any vehicle or vessel in which such officer has reason to believe that any of the provisions of this Order has been, is being, or is about to be, contravened;

(ii) seize any electrical cables or wires in respect of which he has reason to believe that any of the provisions of this Order has been, is being, or is about to be, contravened."

[No. F.11/43/69-El.Ind.]

R. K TIKKU, Jt. Secy.

का० आ० 593(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विद्युत् कैबिल और तार नियन्त्रण आदेश, 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (i) इस आदेश का नाम विद्युत्–कैबिल और तार नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1975 है ।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. विद्युत्–कैबिल और तार नियन्त्रण आदेश, 1970 के खंड 8 में, उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) कोई भी पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो, या इस निमित्त प्राधिकृत समतुल्य पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश का अनुपालन किया गया है, और ऐसी सहायता, यदि कोई हो, के साथ, जिसे वह ठीक समझे,—

(i) किसी स्थान, किसी यान या जलयान में जिसके बारे में ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें इस आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ii) ऐसे विद्युत्–केबिलों या तारों का अभिग्रहण कर सकेगा, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके संबंध में इस आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है, या किया जाने वाला है ।

[सं० फा० 11/43/69–ई० एल० आई एन डी]

आर० के० टिक्कू, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975